


एकल-पीठ  
डॉ० महेन्द्र लोढा, सदस्य

दिनांक:- 10/10/24

वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार  
आवाजें लगवायी गयी। उप० नहीं। पत्रावली अदम  
पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(महेन्द्र लोढा)  
सदस्य